राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक : प.12(3)वित्त(नियम)/2014 **जयपुर, दिनांक :** 11/04/2020

आदेश

विषयः COVID-19 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने तथा इलाज के समय असामयिक मृत्यु होने पर रुपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि के संबंध में।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी की असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित/परिवार को रुपये 50.00 लाख की अनुग्रह राशि देय होगी।

यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित Pradhan Mantri Garib Kalyan Package : Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19 में शामिल श्रेणी के कर्मियों को देय नहीं होगी। यह राशि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75(1)(a) के अन्तर्गत देय अनुग्रह राशि रुपये 20.00 लाख के अतिरिक्त होगी।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तों की पालना के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

11.4.20

(निरंजन कुमार आर्य)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है

1 सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
5 प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
6 समस्त विभागाध्यक्ष
7 निदेशक, कोष एव लेखा, राजस्थान
8 समस्त कोषाधिकारी
9 तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
10. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एव सूचनार्थ

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव

पेशन / 04 / 2020

C:\Users\user\Desktop\WORD\Letter hindi.docx